

IN THE COURT OF
Spl. Chief Judicial Magistrate At, Meerut

विनोद बनाम अज्ञात

वाद संख्या 5103/2022

थाना- परतापुर, जिला मेरठ।

दिनांक- 13.09.2025

पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुयी। वादी मुकदमा अनुपस्थित है। वादी मुकदमा पर नोटिस तामील है। वादी द्वारा अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। विवेचना उपरांत अज्ञात चोरों की जानकारी न होने के कारण सुरागरसी, पतारसी जारी रखते हुए, प्रस्तुत प्रकरण में अंतिम आख्या प्रेषित की गयी है। वादी द्वारा कोई आपत्ति अंतिम आख्या के विरुद्ध दाखिल नहीं की गयी है। अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

मु.अ.सं. 183/2020 में प्रेषित अंतिम आख्या स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दुर्गेश नंदिनी
विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मेरठ